संख्या-479 / III (2)/04-7 (बजट)/2004

प्रेषक,

टी0के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामे,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लो.नि.वि. देहरादून ।

देहरादून,दिनांक 25 सितम्बर,2004

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषयः- वित्तीय वर्ष 2004-2005 मे राजभवन देहरादून एवं नैनीताल के सरकारी रिहायशी भवनो हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1528/88 बजट(भवन अनुस्मरण)/04-05 दिनांक 18 अगस्त,2004 के संदर्भ मे एवं शासनादेश संख्या-479/लो.नि.-III(2)/04-7(बजट)/03 दिनांक 12 मई,2004 के क्रम मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2004-05 मे राजभवन,देहरादून/ नैनीताल के रिहायशी भवनो हेतु आयोजनेत्तर मद मे प्राविधानित धनराशि मे से लेखानुदान मे स्वीकृत धनराशि को कम करते हुए संलग्न विवरणानुसार रू0 20.97 लाख (रूपये बीस लाख सत्तानबे हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यथा आवश्यकता उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा,जो विगत वर्ष के वास्तविक व्यय के अनुरूप हो और अनुरक्षण लोक निर्माण विभाग के मानक के अनुसार निर्गत शासनादेशो की व्यवस्थानुसार ही किया जायेगा ।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का मासिक आवश्यकता के आधार पर कोषागार से आहरण किया जायेगा, यह सुनिशिचत कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू/निर्माणाधीन योजनाओ पर ही किया जायेगा । शासन की पूर्वानुमति के बिना नई योजनाओ पर धनराशि का व्यय कदापि नही किया जायेगा, कार्यवार आबंटित धनराशि की सूचना शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराई जायेगी । स्वीकृत की जा रही धनराशि का 80 प्रतिशत तक उपयोग किये जाने के उपरान्त ही दूसरी किस्त का प्रस्ताव विगत वर्ष के वास्तविक व्यय का विवरण देते हुए किया जायेगा ।

3- यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि व्यय चालू कार्य पर कार्य की पूर्ण अनुमानित लागत की सीमा तक ही किया जाये,व्यय उन्ही मदो मे किया जायेगा । जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

4- व्यय करने से पूर्व जिन मामलो मे बजट मैनुअल,वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमो तथा अन्य स्थायी आदेशो के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो,उनमे व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनो/पुनरीक्षित आगणनो पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ निरकृत आगणनो पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय । कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमो का भी अनुपालन कर लिया जायेगा ।

5- उपकरणो/सामग्रियो का क्रय डी.जी.एस.एण्ड डी.श्री दर अथवा टैण्डर/कुटेशन विषयक नियमो का अनुपालन करते हुए किया जायेगा ।

6- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें ।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दि0 31.3.05 तक पूर्ण उपयोग कर डिण्डुवार उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जायेगा ।

8- व्यय उसी मद मे किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है ।

9- इस संबध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-2216- आवास-01-सरकारी-रिहायशी भवन (भारित) -700- अन्य आवास-03 -निर्माण (आयोजनेत्तर)-02 राजभवन (देहरादून/नैनीताल) के अन्तर्गत संलग्नक मे उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयो के नामे डाला जायेगा ।

क्रमश 2/--

8-   यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. सं0- 1157/वित्त अनुभाग-3/04,दिनांक,14 सितम्बर, -2004 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

संलग्नकः-   यथोक्त ।

भवदीय

(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव ।

संख्या-479 (1)/ III(2)/04,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल,इलाहाबाद / देहरादून ।
2- सचिव श्री राज्यपाल,सचिवालय ,देहरादून ।
3- आयुक्त गढवाल/कुमायू मंडल, पौडी/नैनीताल ।
4- समस्त जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी ,उत्तरांचल ।
5- मुख्य अभियन्ता , गढवाल/कुमायू क्षेत्र,लो0नि0वि0, पौडी/ अल्मोडा ।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून ।
7- निजी सचिव,मुख्य मंत्री को मा.मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ हेतु ।
8- वित्त अनुभाग-3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन ।
9- निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र ,उत्तरांचल देहरादून ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-1 उत्तरांचल शासन
11- गार्ड बुक ।

आज्ञा से

(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव

R.c.joshi

शासनादेश संख्या-479 /लो.नि.2/04-7(बजट)/2004 दिनांक 25/9/2004

अनुदान संख्या-22

2216-आवास-राजभवन(देहरादून एवं नैनीताल)

(आयोजनेत्तर)

2216-01-700-03-02

क्रम संख्या	विवरण	आवंटन (हजार रू0 में)
01	08 कार्यालय व्यय	690
02	09 विद्युत देय	179
03	10 जलकर / जल प्रभार	195
04	25-लघु निर्माण कार्य	433
05	29-अनुरक्षण	600
	योग:-	2097

(रू0 बीस लाख [illegible] हजार मात्र)

(टी0के0 पन्त)

संयुक्त सचिव।

2309040003